जनसुनवाई में पहुंचा जमीन घोटाला

मामला दुधमनिया तहसील क्षेत्र के कतरिहार पंचायत का, पूर्व सरपंच आरोप में घिरा

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 9 जून। दुधमनिया तहसील क्षेत्र के ग्राम कतरिहार के दर्जनों ग्रामीण आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनसुनवाई में शामिल हुए और पूर्व सरपंच रामनरेश गुर्जर सहित उनके परिजनों पर शासकीय भूमि पर फर्जी तरीके से पट्टा करवाने, कब्जा जमाने तथा विरोध करने पर धमकी देने के गंभीर आरोप लगाया।

ग्रामीणों ने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तथा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। ग्रामीणों द्वारा दिए गए शिकायत पत्र के अनुसार पूर्व सरपंच रामनरेश गुर्जर ने अपने परिवार के कई सदस्यों के नाम पर लगभग 250 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि का कथित रूप से फर्जी पट्टा करवा लिया था। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उक्त भूमि पर गांव के विभिन्न समाजों के लोग कई पीढ़ियों से खेती-किसानी और उपयोग करते आ रहे हैं। इनमें बैगा, गोंड़, अगरिया, गुर्जर, जायसवाल, नाई सहित अन्य वर्गों के परिवार शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में पिछले लगभग दस महीनों से प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार आवेदन दिए जा रहे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर मामले की जांच एसडीएम एवं तहसील दुधमनिया द्वारा कराई गई थी। जांच के बाद कथित फर्जी पट्टों को निरस्त किए जाने का आदेश भी जारी हुआ, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व रिकॉर्ड में अब भी संबंधित लोगों के नाम दर्ज हैं, जिससे विवाद की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की कि जिन खसरा नंबरों में कथित रूप से गलत तरीके से नाम दर्ज किए गए हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए।

आदिवासियों का आरोप, दबंग दे रहे धमकियां

शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि रामनरेश गुर्जर, उनके भाई कमलेश गुर्जर, पुत्र अवधेश गुर्जर तथा अन्य परिजन जमीन पर अपना दावा जताते हुए ग्रामीणों को लगातार धमका रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें खेतों में बोई गई फसल को जबरन काट लेने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इससे गांव में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन को बताया कि मामले की शिकायत थाना और एसपी कार्यालय में भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि शिकायतों के बावजूद मोरवा पुलिस ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है, जिससे आरोपियों के हौसले बढ़े हुए हैं। बीट प्रभारी का संरक्षण है।

हादसे पर पावर कंपनी प्रबंधन ने जताया दु:ख

सिंगरौली 9 जून (एनबीएन)। बंधौरा क्षेत्र में स्थापित पावर कंपनी के प्रबंधन द्वारा विज्ञप्ति जारी करते हुये कहा है कि हमें अत्यंत दु:ख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि महान पावर प्लांट में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे एक संविदा कर्मचारी का निधन हो गया। अंगद चौधरी ड्यूटी के दौरान एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गए। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि निर्धारित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किए जाने के बावजूद उन्हें गंभीर चोटें आईं। हमारी साइट मेडिकल टीम द्वारा तत्काल उपचार एवं हरसंभव प्रयास किए गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हम दिवंगत कर्मचारी के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम अपने सभी परिचालनों में उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस घटना की विस्तृत जांच की जा रही है।

बॉयलर एवं सड़क हादसे में दो की मौत

कंपनी परिसर के साथ सितुलखुर्द गांव में हुआ हंगामा, पुलिस बल तैनात

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 9 जून। बंधौरा क्षेत्र में स्थापित एक पावर कंपनी में आज बॉयलर में फंसने से एक संविदाकर्मी एवं सितुलखुर्द में आधी रात को बेकाबू टेलर वाहन के टक्कर से 35 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। उक्त दोनों हादसे के बाद कंपनी परिसर में सैकड़ों श्रमिक भड़क गये। वहीं सितुलखुर्द गांव के सड़क पर शव को रख आधी रात से चक्काजाम करने लगे। जहां आज सुबह तक चक्काजाम चला।

दरअसल पावर कंपनी में कार्य कर रहे संविदाकर्मी अंगद चौधरी पिता शम्भू चौधरी निवासी सुंडीपुर थाना काढ़ी जिला गढ़वा प्रांत झारखण्ड आज कार्य के दौरान बॉयलर में फंसने से अचानक गिर पड़ा, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कंपनी परिसर में जमकर हंगामा शुरू हो गया। कार्य कर रहे सैकड़ों श्रमिक शव को अपने कब्जे में लेकर इस बात पर अड़ गये कि जब तक मांगों की पूर्ति नही होगी, तब तक शव को नही उठाने दिया जाएगा। देर शाम तक हंगामा चलता रहा। वहीं दूसरी घटना बंधौरा पुलिस चौकी क्षेत्र के सितुलखुर्द गांव की है, जहां एक बेकाबू कोल वाहन बंधौरा की ओर जा रहा था कि अपने घर के समीप राजेन्द्र पुलिया पर बैठा हुआ था, उसी दौरान टेलर वाहन के चालक ने पुलिया से टकराया और उसके चपेट में युवक भी आ गया, जहां युवक राजेन्द्र साहू की मौत हो गई और बेकाबू कोल वाहन टेलर घर के कुछ हिस्से में घुस गया। इस घटना के बाद गुस्साएं ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। आज सुबह 9 बजे तक चक्काजाम चलता रहा।

मौके पर टीआई माड़ा, चौकी प्रभारी बंधौरा, तहसीलदार प्रीति सिकरवार घटनास्थल पहुंच पीड़ित परिजनों से चर्चा कर मामले का निराकरण कराया। इस दौरान भारी संख्या में पावर कंपनी के अंदर पुलिस बल तैनात रही।

एक नजर में

बुजुर्ग ने बेटों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

सिंगरौली। जिले के बैढ़न थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धतुरा पोखरा निवासी एक बुजुर्ग ने अपने ही परिजनों पर प्रताड़ना, भरण-पोषण नहीं करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रार्थी रामदास उपाध्याय ने शिकायत में कहा है कि वह वृद्धावस्था में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनके अन्य पुत्र उनकी देखभाल नहीं करते और न ही भोजन व अन्य आवश्यक खर्च उपलब्ध कराते हैं। रामदास उपाध्याय ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पूर्व में थाना बैढ़न में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। बुजुर्ग ने एसपी को दिए आवेदन में कहा है कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण उन्हें अपने और अपने छोटे पुत्र के परिवार की जान-माल की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है।

घर में घुसकर महिला से मारपीट, कार्रवाई की मांग

सिंगरौली। जिले के बैढ़न थाना क्षेत्र अंतर्गत धतुरा पोखरा निवासी एक महिला ने गांव के ही एक व्यक्ति पर घर में घुसकर मारपीट, अश्लील गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता सुलोचना उपाध्याय ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई एवं परिवार की सुरक्षा की मांग की है। आवेदन के अनुसार 6 जून को महिला का पति ड्यूटी पर गया हुआ था और वह अपने तीन वर्षीय बच्चे के साथ घर में अकेली थी। इतना ही नहीं, उसके मासूम बच्चे के साथ भी मारपीट की गई और उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

पिकअप वाहन से चार गाय बरामद

सिंगरौली। जिले में गौ रक्षा को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने सतर्कता दिखाते हुए कथित गौतस्करी के एक मामले का खुलासा किया है। संगठन की सक्रियता के चलते गौवंश से भरी एक संदिग्ध पिकअप वाहन को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात 3 बजे ग्राम पचौर, तहसील बरगवां में संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक संदिग्ध पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 53 जीए 2249 को रोककर उसकी जांच की। वाहन में चार गौवंश पाए गए। मौके से एक आरोपी को पकड़कर वाहन सहित बरगवाँ पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। इस पिकअप को भगवती मानव कल्याण संगठन ने पकड़ा, जिसका नेतृत्व जिला प्रभारी प्रेम सागर गुप्ता ने अपने सहयोगी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ किया। कार्यकर्ताओं की सतर्कता और साहस के कारण गौवंश को सुरक्षित बचाया जा सका। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि गौ रक्षा केवल नारों और भाषणों से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर निरंतर प्रयासों से संभव है।

कोल परिवहन प्रतिबंध तोड़ने पर बड़ी कार्रवाई

कलेक्टर के निर्देशों की अवहेलना पड़ी भारी

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 9 जून। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कोयला एवं फ्लाई ऐश परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली कंपनियों और परिवहनकर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

कलेक्टर गौरव बैनल ने आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित परियोजनाओं और परिवहन कंपनियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार कलेक्टर द्वारा 22 मई को जारी आदेश के तहत 23 मई प्रात: 6 बजे से 24 मई दोपहर 12 बजे तक जिले में सड़क मार्ग से फ्लाई ऐश एवं कोयले के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद प्रतिबंधित अवधि में एपीएमडीसी, टीएचडीसी तथा एमडीओ अडानी एंटरप्राइजेज से कोयला प्राप्त वाहन सरई और बरगवां क्षेत्र में परिवहन करते पाए गए। तहसीलदार बरगवां द्वारा 26 मई को प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि 23 मई की सुबह लगभग 9 बजे चार कोयला वाहनों को सरई, झुरही और उज्जैनी होते हुए ग्राम मझौली स्थित रेलवे साइडिंग की ओर जाते समय जप्त किया गया। जांच में सामने आया कि ये वाहन लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय कर करीब दो घंटे तक प्रतिबंधित अवधि में संचालित होते रहे। प्रशासन ने इस मामले में संबंधित परियोजनाओं एवं वाहन संचालकों को नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर जवाब मांगा था, लेकिन प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके बाद कलेक्टर गौरव बैनल ने कार्रवाई के निर्देश दिए।

आदेश के तहत एसीसी लिमिटेड, एमडीओ अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी लॉजिस्टिक्स, आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा ट्रांसपोर्टर सृष्टि लॉजिस्टिक्स के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं।

रेत,गिट्टी और मिट्टी से भरे अवैध 4 वाहन जब्त

बिना वैध अभिवाहन पास के परिवहन करते पकड़े गए वाहन, खनिज विभाग की कार्रवाई

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 9 जून। जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार वाहनों को जप्त किया है। कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देश पर खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल एवं सहायक खनि अधिकारी रामसुशील चौरसिया ने संयुक्त जांच अभियान चलाया।

जांच के दौरान बिना वैध अभिवहन पास के खनिज परिवहन करते वाहन पकड़े गए। कार्रवाई में दो बिना नंबर के ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत से भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली गिट्टी से लदी तथा एक हाइवा क्रमांक एमपी 66 एच 2264 मिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। सभी वाहनों को तत्काल जप्त कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई। खनिज विभाग ने जप्त वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी बंधौरा, थाना माड़ा एवं थाना कोतवाली बैढ़न में खड़ा कराया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जप्त वाहनों के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले में लगातार हो रही इस तरह की कार्रवाई से अवैध खनिज कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि बिना अनुमति खनिज परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

समान नागरिक संहिता पर हुई विस्तार से चर्चा

सिंगरौली 9 जून (एनबीएन)। प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इसके अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य अनूप नायर की अध्यक्षता में जिपं सभागार सिंगरौली एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूसीसी के क्रियान्वयन को लेकर आम जनता और प्रबुद्ध वर्ग के साथ सीधे संवाद स्थापित करना था। चर्चा के दौरान श्री नायर ने विस्तृत रूप से बताया कि समान नागरिक संहिता में क्या-क्या शामिल है।

परियोजना प्रमुख को मिली पदोन्नत, बने कार्यकारी निदेशक

नवभारत न्यूज

रिहंदनगर 9 जून। एनटीपीसी रिहंद के मुख्य महाप्रबंधक एवं परियोजना प्रमुख संजय असाटी पदोन्नत होकर कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। उनके इस शीर्ष पद पर आसीन होने से संपूर्ण रिहंद परिवार में हर्ष का माहौल है और सभी ने उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

वर्ष 1988 में जबलपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद संजय असाटी ने सितंबर 1989 में कार्यपालक प्रशिक्षु के रूप में एनटीपीसी में अपने गौरवशाली व्यावसायिक करियर की शुरुआत की थी। प्रशिक्षण की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के उपरांत उनकी पहली नियुक्ति एनटीपीसी विंध्याचल परियोजना के सी एंड आई विभाग में हुई थी। अपने तीन दशक से भी अधिक के लंबे और बेदाग सेवाकाल के दौरान उन्होंने एनटीपीसी की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे विंध्याचल, ऊँचाहार, झज्जर और रिहंद में अनेक पदों पर रहते हुए अपना उल्लेखनीय और अनुकरणीय योगदान दिया है। श्री असाटी अपनी प्रचालन उत्कृष्टता, तकनीकी विकास, कुशल प्रशासनिक क्षमता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। एनटीपीसी शीर्ष प्रबंधन को पूरा विश्वास है कि कार्यकारी निदेशक के रूप में संजय असाटी के सक्षम नेतृत्व, व्यापक अनुभव और दूरदृष्टि का लाभ आने वाले समय में पूरे संगठन को मजबूती प्रदान करेगा।

जमा राशि आहरित कराने के लिए भटक रहा खातेदार

सिंगरौली 9 जून (एनबीएन)। कलेक्ट्रोरेट में आयोजित जनसुनवाई में खुटार निवासी रामकेत शाह ने कलेक्टर से शिकायत किया कि सेवा सहकारी समिति खुटार में खुद की 40 हजार रूपये राशि जमा है, लेकिन उक्त राशि को आहरित करना चा रहा हूँ, परंतु राशि नही मिल रही है। जबकि आवेदन समिति में कई बार दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जरूरी कार्य के लिए राशि आहरण करने के लिए समिति में जाना पड़ रहा है। पीड़ित ने इस ओर कलेक्टर का ध्यान आकृष्ट कराया है।

किशोर ने परियोजना प्रमुख एवं ईटी का किया पदभार ग्रहण

नवभारत न्यूज

विंध्यनगर 9 जून। विंध्यनगर विंध्याचल ने किशोर कुमार होता का कार्यकारी निदेशक एवं परियोजना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक स्वागत एवं शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने आज 9 जून को एनटीपीसी विंध्याचल के प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभाला।

श्री होता ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है तथा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ओडिशा से वित्त में पीजी डिप्लोमा किया है। वे अपने साथ लगभग 38 वर्षों का समृद्ध एवं विविध अनुभव लेकर आए हैं।

वर्ष 1988 में एनटीपीसी में एक्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले श्री होता ने प्रचालन, कॉर्पोरेट प्लानिंग, ईंधन प्रबंधन, ईंधन परिवहन, ग्रीन एनर्जी तथा विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों के नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने विंध्याचल, नोएडा और लखनऊ सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यालयों में जिम्मेदार भूमिकाएँ निभाईं। अपनी दूरदर्शी सोच, तकनीकी दक्षता और उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले श्री होता ने एनटीपीसी की परिचालन क्षमता और विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में संगठन ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

रेही खदान से रेत चोरी करते हाईवा वाहन जब्त

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 9 जून। चितरंगी थाना क्षेत्र के रेही खदान से रेत का अवैध परिवहन कर रहे एक अवैध हाईवा वाहन को यातायात चौकी झोखो प्रभारी अनिल मिश्रा ने दबोचते हुये परिसर में खड़ा करा कर कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार रेही रेत खदान से राजेन्द्र जायसवाल का हाईवा वाहन क्रमांक यूपी 64 बीटी 2776 रेत का अवैध परिवहन कर आधी रात को चितरंगी की ओर जा रहा था कि यातायात चौकी प्रभारी झोखो अनिल मिश्रा ने पुलिस टीम के साथ करथुआ में पीछा कर दबोच लिया और चालक से वाहन टीपी की मांग की गई तो उसने दस्तावेज नही दिया। यातायात चौकी प्रभारी ने उक्त वाहन को अपने कब्जे में लेते हुये चौकी में सुरक्षार्थ खड़ा कराते हुये खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

बालिकाओं को मिली अध्ययन सामग्री, खिले चेहरे

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 9 जून। एल एंड टी गोंड देवसर ग्रामीण जल प्रदाय परियोजना द्वारा एल एंड टी वॉलंटियरिंग डे के अवसर पर सीएसआर कार्यक्रम के तहत इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा संचालित बालिका खुला आश्रय गृह में सामाजिक सरोकारों से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष जल निगम के जनरल मैनेजर पंकज वाधवानी रहे। इस दौरान आश्रय गृह में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही 25 बालिकाओं को टिफिन बॉक्स, पानी की बोतलए स्कूल बैगए पेंसिल, रबर, कलर बॉक्स, ड्राइंग बुक सहित अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। आश्रय गृह परिसर में आम, अमरूद, जामुन और अनार सहित विभिन्न फलदार एवं छायादार पौधों का वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। रेडक्रॉस सोसायटी के चेयरमैन एसडी सिंह ने संस्था की जनहितकारी गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान रेडक्रॉस के सचिव डॉ. ओपी राय सहित कंपनी एवं रेडक्रॉस के कई स्टाफ मौजूद रहे।

सड़क हादसे में दो लोग घायल

सिंगरौली 9 जून (एनबीएन)। बरगवां थाना क्षेत्र के गिधेर गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा होने की सूचना मिली है। हादसे में दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट लगी है, जबकि दूसरे व्यक्ति का पैर घुटने के पास से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही एंबुलेंस को बुलाया गया और घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

हत्या के प्रयास में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

प्रथम अपर सत्र न्यायालय देवसर का फैसला, दोनों दोषी पहुंचे जेल

नवभारत न्यूज

देवसर 9 जून। देवसर स्थित प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक चर्चित मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक मारकंडे मणि त्रिपाठी ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार वर्मा की अदालत ने सत्र प्रकरण क्रमांक एसटी/86/2024 में आरोपी महेंद्र कोरी पुत्र सियम्बर कोरी उम्र 32 वर्ष एवं बूटा कोरी पत्नी अयोध्या कोरी उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम कुर्साभाट टोला थाना जियावन को दोषसिद्ध पाते हुए यह दंडादेश पारित किया। सहायक लोक अभियोजक मारकंडे मणि त्रिपाठी के अनुसार घटना 23 जुलाई 2024 को दोपहर लगभग 12:30 बजे की है। पीड़ित शिवरतन कोरी जंगल में बैल चराने जा रहे थे, तभी पुरानी रंजिश को लेकर महेंद्र कोरी ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर महेंद्र ने लाठी से शिवरतन के सिर पर हमला कर दिया। इसी दौरान बूटा कोरी भी मौके पर पहुंची और मारपीट में शामिल हो गई। घटना में शिवरतन को गंभीर चोटें आईं। मामले की शिकायत पर थाना जियावन में अपराध दर्ज कर विवेचना की गई। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने धारा 296 एवं 351(2) बीएनएस के आरोप प्रमाणित न होने पर आरोपियों को उन धाराओं से दोषमुक्त किया, लेकिन धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के अपराध को प्रमाणित मानते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर पृथक से छ: माह का कठोर कारावास भुगतना होगा।